जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति गाजियाबाद की दिनांक 13.03.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शा0सं0 95/छिहत्तर-2020-21 स्वजल/2010 टी0सी0-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी कियान्वयन एंव मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38-5-2010-20 स्वजल 2010 (टी0सी0अ0) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति का पुर्नगठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एंव राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं कार्यो की प्रगति हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गाजियाबादकी अध्यक्षता में "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" गाजियाबाद की बैठक दिनांक 13.03.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद —उपाध्यक्ष।
2. जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद —सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी —सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद —सदस्य।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद —सदस्य।
6. अधिशासी अभियंता, सिचांई खण्ड प्रथम, गाजियाबाद —सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता ग्राउड वाटर, गाजियाबाद —सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद —सदस्य।
9. जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद —सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद —सदस्य सचिव।
11. श्री मुनीश- सीनियर इंजीनियर, मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2393/W-22/NIT/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै0 एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 विरचन एंव पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै0 एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गाजियाबाद हेतु पत्र संख्या- LC/GZB/JJM/272 Date:-10-03-2023 के माध्यम से 04 नग डी0पी0आर0 जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिनमे 04 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप जल निगम कार्यालय द्वारा जाँच की गई है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाईन के अनुसार 12.50 प्रतिशित सैंटज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार Ultimate Design Year के लिये योजना हेतु Per Capita Cost की दर रू 9000.00 निर्धारित की गई है तथा उक्त आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेंन्सी तथा जी0एस0टी0 को लिया गया है। मैसर्स एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कॉस्ट (रू0करोड में)	सैंन्टेज (रू0करोड में)	कुल लागत (रू0 करोड में)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाईन वर्ष 2052 हेतु (रू0)
1	मसूरी (पुर्नगठन)	रजापुर	1	4454	44995	10.151	1.08	11.23	2256
2	औरगाबाद गदाना	भोजपुर	1	554	6340	2.857	0.30	3.16	4507
3	अफजल नगर सीति	लोनी	1	46	348	0.619	0.066	0.68	17793
4	अलीपुर (पुर्नगठन)	लोनी	1	310	1749	1.508	0.16	1.678	8621

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता द्वारा निर्धारित मानक निम्नानुसार है

(1) योजना की प्रति व्यक्ति लागत रू0 9000 से कम होनी चाहिए (2) योजना में एकल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 35000 से कम होनी चाहिए तथा बहुल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 65000 से कम होनी चाहिए (3) प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत रू0 15.00 लाख से कम होनी चाहिए।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि मै0 एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत समस्त 04 नग डी0पी0आर0 मानको के अनुरूप नही पाई गई। प्रस्तुत समस्त 04 नग डी0पी0आर0 में से 01 नग डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत रू0 9000 से अधिक है, 03 नग डी0पी0आर0 की प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 35000 से अधिक है तथा 02 नग डी0पी0आर0 की प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत भी रू0 15.00 लाख से अधिक है। जिस कारण से उपरोक्त समस्त 04 नग डी0पी0आर0 निर्धारित मानको के अनुरूप नही है, उपरोक्त समस्त 04 नग डी0पी0आर0 की कार्यालय जल निगम (ग्रामीण) गाजियाबाद द्वारा विस्तृत रूप से जॉच की गई है, तथा नियमानुसार प्रयास करने पर भी उपरोक्त 04 नग डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाना सम्भव नही हो सका। मानक के अनुरूप नही पाई गई उपरोक्त 04 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 का मानक में नही होने का विवरण एवं कारण निम्नानुसार है-

[Type text]

124

क्र सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	वर्क कॉस्ट (रू0 करोड में)	सैन्टेज (रू0करोड में)	कुल लागत (रू0 करोड में)	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति लागत रू0 में डिजाईन वर्ष 2052 हेतु मानक रू09000 के सापेक्ष	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	प्रति FHTC की लागत मानक रू0 35000 के सापेक्ष	प्रति कि0मी0 की लागत मानक रू0 15 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप नही होने का कारण
1	मसूरी (पुर्नगठन)	रजापुर	10.151	1.08	11.23	44995	2256	4454	22791	17.87	अधिकाशं सडके पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
2	औरंगाबाद गदाना	भोजपुर	2.857	0.30	3.16	6340	4507	554	51578	16.87	घरो की सख्या कम होने के कारण तथा अधिकाशं सडके पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
3	अफजल नगर सीति	लोनी	0.619	0.066	0.68	348	17793	46	134609	—	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
4	अलीपुर (पुर्नगठन)	लोनी	1.508	0.16	1.678	1749	8621	310	48642	—	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त योजनाओं मे से कमांक 2,3 एवं 4 पर अकिंत 03 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 की लागत रू0 5.00 करोड से कम होने के कारण शासनादेश संख्या–51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के बिन्दु सं0 12 के अनुसार समस्त 03 नग योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त कमांक 01 पर अकित योजना की लागत 5.00 करोड से अधिक होने के कारण शासनादेश संख्या–03/2022/230/ छिहत्तर–1–2022–25सम/2019 दिनांक 08.02.2022 के बिन्दु सं0–04 के अनुसार रू0 5.00 करोड से अधिक लागत की परियोजनाओं के डी0पी0आर0 की वेटिग आई0आई0टी0/एन0आई0टी0/अन्य राजकीय महाविघालयो/राजकीय विश्वविघालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति एवं ड्राईग/डिजाइन की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा प्रदान की जायेगी।

सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मानक के अनुरूप नही पायी गयी समस्त 04 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 को जॉच एवं स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

13/03/2023

अधिशासी अभियंता,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजियाबाद
सदस्य सचिव।

जिला सूचना एंव
जन सम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद
सदस्य।

जिला कृषि अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

अधिशासी अभियंता ग्राउड वाटर,
गाजियाबाद सदस्य।

अधिशासी अभियंता सिचांई,
गाजियाबाद सदस्य।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गाजियाबाद सदस्य।

जिला विकास अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।

मुख्य विकास अधिकारी,
गाजियाबाद, उपाध्यक्ष।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद।